संख्याः-485/XLI-A/2023-108/2010(E-42224)

/173349/2023

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिष्ठाता,
प्रौद्योगिक महाविद्यालय,
पन्तनगर, ऊधमसिंह नगर,

तकनीकी शिक्षा विभाग, देहरादूनः दिनांकः 11 नवम्बर, 2023।

विषयः– अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत प्रौद्योगिक महाविद्यालय, पन्तनगर में निर्माण कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्थान के पत्र संख्या–सीटीई/2023–24/660, दिनांक 30.08.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत प्रौद्योगिक महाविद्यालय, पन्तनगर में निर्माण कार्यो हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की संगत मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नवत् कुल धनराशि **रू0 174.734 लाख (रूपये एक करोड चौहत्तर लाख तिहत्तर हजार चार सौ मात्र)** अवमुक्त कर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्रमांक	कार्य का नाम	लागत (रू0 लाख में)	अवमुक्त धनराशि (रू0 लाख में)
1	225 एस.सी./एस.पी पुरूष छात्रावास में अभिरक्षक का आवास निर्माण	70.49	42.294
2	225एस.सी./एस.पी. (पुरूष) छात्रावास में साइकिल स्टैंड का निर्माण	21.25	21.25
3	अम्बेडकर महिला छात्रावास में अभिरक्षक का आवास निर्माण	70.49	42.294
4	अम्बेडकर महिला छात्रावास में साइकिल स्टैंड का निर्माण	21.25	21.25
5	एस.सी./एस.टी. पुरूष छात्रावास में चाहरदीवारी गेट एवं एप्रोच रोड का निर्माण	79.41	47.646
	योग	262.89	174.734

(i) उक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि तत्काल कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा और उक्त कार्यो को चालू वित्तीय वर्ष के भीतर ही पूर्ण कराकर महाविद्यालय प्रशासन को सौंपा जाना सुनिश्चित किया जायेगा, ताकि उक्त कार्यो का लाभ लक्षित वर्ग को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो सके।

(ii) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि एस.सी./एस.टी. पुरूष छात्रावास एवं अम्बेडकर महिला छात्रावास का अधिकतम लाभ अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्राप्त हो।

(iii) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(iv) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं समस्त संगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है तथा धनराशि को पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते/बचत खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(v) स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

(vi) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(vii) प्रश्नगत धनराशि का आहरण एवं व्यय नियमानुसार मितव्ययता को ध्यान में रखकर आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाये एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।

(viii) किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित् किया जाए।

(x) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप ही सामग्री प्रयोग में लायी जाये। विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।

(xi) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध करायी जाए।

(xii) स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

(xiii) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष, आहरण/वितरण मासिक व्यय यथावश्यकता सारणी बनाकर किया जाये।

(xiv) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाये।

(xv) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए।

(xvi) व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–111469/09(150)/2019 XXVII(1)/ 2023 दिनांक 31.03.2023, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xvii) विषयगत प्रकरण में दिनांक व्यय वित्त समिति के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें तथा प्रस्तुत योजनाओं का औचित्य व आंगणन की लागत की उपयुक्तता इत्यादि को सुनिश्चित करने का दायित्व प्र0वि0 का होगा एवं अग्रेत्तर धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2024 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

(xviii) उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग–7 (वे0आ0–सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य सम्पादित किया जाय।

(xix) स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(xx) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु किया जायेगा। उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदो में कदापि नहीं किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–30 के [illegible] शीर्षक 4202–00–02–105–03–55 पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान [illegible] जायेगा।

3. उपरोक्त धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 1[illegible]XVII(6)/430/एक/[illegible] दिनांक 29 मार्च 2019 द्वारा विहित व्यवस्था [illegible] क्रम में एकीकृ[illegible]य प्रबन्धन प्रणाली (IF[illegible] के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/[illegible] आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे है।

/173349/2023

4. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक–I/171534/2023 दिनांक 29.11.2023 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोक्त।

Signed by Raman Ravinath
Date: 06-12-2023 14:18:27

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्याः–1485/XLI-A/2023–108/2010(E-42224) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार (ऑडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड़, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्य अभियंता, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Shriprakash Tiwari
Date: 06-12-2023 12:42:02

(श्रीप्रकाश तिवारी)
उप सचिव।

IFMS Uttarakhand
उत्तराखण्ड सरकार

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

HOD-Secretary, Technical Education (Grants)(9009)

Treasury-U S Nagar(7500)

DDO-District Magistrate For Grants U S Nagar(4183)

आवंटन पत्र संख्या -108/2010
अनुदान संख्या-030

आवंटन आई डी-H23120300012
आवंटन पत्र दिनांक-12-DEC-2023

लेखा शीर्षक

4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
105-इंजीनियरिंग/ तकनीकी कालेज तथा संस्थान
00-पं

02-तकनीकी शिक्षा
03-पंत कालेज आफ टेक्नोलॉजी पन्तनगर

Voted

4	2	0	2	0	2	1	0	5	0	3	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
55-पूँजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान	0	17473400	0	17473400
योग	0	17473400	0	17473400

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.1,74,73,400 (Rupees One Crore Seventy Four Lacs Seventy Three Thousand Four Hundred Only)

Batch ID : DIS:9009:9009:2312:0002
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(चन्द्रशेखर उपाध्याय)
अनुभाग अधिकारी
तकनीकी शिक्षा अनुभाग
उत्तराखण्ड शासन